

संकलन कर्ता - (अजय कुमार गुप्ता) (R.E.S.)
अति० जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अजमेर

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (लागू दिनांक 26.1.2013)

उपापन - माल, (Goods), संकर्म (Works) तथा सेवाएं (Services)

क्र.सं.	नियम क्रमांक	उपापन विधि	वित्तीय सीमा	
			एक बार में	वित्तीय वर्ष में
1	नियम 26	निविदा आवश्यक नहीं है।	10000 तक	1 लाख से कम
2	नियम 25	मौके पर क्रय (प्रमाण पत्र आवश्यक)	50000 तक	3 लाख से कम
3	नियम 24	कोटेशन के लिए अनुरोध	10000 से अधिक 1 लाख से कम	5 लाख से कम
4	नियम 16	सीमित निविदा (बोली)	10000 से अधिक 2 लाख से कम	10 लाख से कम
5	नियम 27	कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली (केवल रजिस्ट्रीकृत बोली दाताओं को) (अनुसूचित दरों पर)	1 लाख से कम	5 लाख से कम
6	नियम 17(2)(क)	एक लाख या इससे अधिक के उपापन को http://sppp.raj.nic.in पोर्टल पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।		

नियम 25 के अनुसार क्रय के लिए प्रमाण पत्र वॉउचर पर अंकित करना है-

प्रमाणित किया जाता है कि हम

..... (समिति के सदस्यों के नाम) मौका क्रय समिति के सदस्यों का संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह समाधान हो गया है कि सिफारिश की गयी उपापन की विषय-वस्तु अपेक्षित स्पेशिपिकेशन एवं गुणवत्ता की है। प्रचलित बाजार दर की कीमत की है। और विक्रेता/सप्लायर विश्वसनीय है, और विषय-वस्तु आपूर्ति करने में सक्षम है।

NIC या Rmsa के site पर Upload करना।